न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :– श्री रामसिंह राजावत (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्याः–15 / 2023 — दर्ज दिनांक 23.01.2023

जीसीएमएस न0 2023 / 60 — निर्णय दिनांक 13.02.2023

1. महाबीर पुत्र मुखा
2. महेन्द्र पुत्र मुखा
3. छोटू पुत्र मुखा

   जाति माली पेशा मजदूरी निवासी कुआ गारेजीहाला कस्बा उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।

प्रार्थीगण ...

बनाम

1. मुकेश पुत्र बनवारी
2. मनोज पुत्र बनवारी

   जाति माली पेशा मजदूरी निवासी कुआ गोरजीहाला कस्बा उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।

3. राजस्थान सरकार द्वारा लैण्ड होल्डर तहसीलदार साहब उदयपुवाटी जिला झुन्झुनूं।

अप्रार्थीगण...

प्रार्थना–पत्र अस्थाई व्यादेश

निर्णय

दिनांक 13.02.2023

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का इस आश्य का पेश किया है कि उनवानी वादपत्र महाबीर आदि बनाम मुकेश आदि बाकायदा न्यायालय हाजा में प्रस्तुत कर दिया है। उक्त दावा बहूत ही मजबूत आधारो पर आधारित है। जिसमें आवेदक को सफलता मिलने की पूरी–पुरी आशा एंव विश्वास है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अस्थाई व्यादेश का पेश किया कि कस्बा उदयपुरवाटी की सरहद में भूमि खसरा न. 1771 रकबा 0.23 है0, खसरा न. 1807 रकबा 0.04 है0, खसरा न. 1808 रकबा 0.10 है0, खसरा न. 1809 रकबा 0.18 है0 कुल खसरा 4 का योग रकबा 0.55 है0 भूमि है उपरोक्त भूमि विवादित भूमि है जिसे प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त भूमि के नाम से सम्बोधित किया गया है। विवादित भूमि वादपत्र में पीढी के अनुसार वादीगण का 1/2 हिस्सा होता है परन्तु स्वर्गीय पोकर एवं स्वर्गीय डूॅगा के मध्य आपस में काफी स्नेह व विश्वास होने से भूमि का विभाजन 1/3 हिस्से में किया गया क्योंकि पोकर के 2 पुत्र तथा डूगा के 1 पुत्र मुखा था इसलिए भविष्य में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न नहीं हो इसलिए स्वर्गीय पोकर व स्वर्गीय डूगा ने अपने जीवनकाल में सुरजाराम, बालूराम, मुखाराम के मध्य भूमि का विभाजन 1/3 हिस्से अनुसार कर दिया तथा मौके पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने हिस्सेनुसार काबिज काश्त है वादीगण एवं प्रतिवादीगण अशिक्षित होने एवं उनके पूर्वज होने के कारण राजस्व रिकॉर्ड की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया बिना किसी विवाद के शांतिपूर्व काबिज एवं आमदा है। परन्तु दिनांक 18.03.2015 को राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी की सत्यप्रति प्राप्त करने पर विवादित भूमि में वादीगण का नाम नहीं होने की बाबत् जानकारी हुई। इसलिए वादीगण ने प्रतिवादीगण से रिकॉर्ड दुरूस्त कराने बाबत् कहा तो प्रतिवादीगण ने बसन्ती देवी, तेजाराम, बनवारी का फौतगी नामान्तरण दर्ज करवाकर रिकॉर्ड दुरूस्त कराने की कहरक समय निकालते रहे। बाद में रिकॉर्ड दुरूस्त कराने से साफ–साफ इनकार होने के कारण वादपत्र पेश करना आवश्यक हुआ। सुरजाराम के दो वारिसान गिरधारी व बंशी थे जिनमें से बंशी ने अपना हिस्सा गिरधारी के पक्ष में तर्क कर दिया था इसलिए अकेले गिरधारी को पक्षकार बनाया गया है तथा तेजाराम बनवारी की माता का स्वर्गवास हो गया है जिनके वारिसान क्रमशः प्रतिवादीगण 2,अ 3, 4 व 5 है जिनको पक्षकार बनाया गया है। वादीगण ने प्रतिवादीगण से रिकॉर्ड दुरूस्त करवाने के कहने पर वे साफ–साफ इनकार करने व वर्तमान में उक्त भूमि का बेचान प्रतिवादीगण द्वारा अन्य दीगर [illegible] से पैदा है इसलिए वादीगण को अपने हक रक्षार्थ यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का [illegible] आवश्यक हुआ है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश कर निवेदन है कि [illegible] अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमावे तथा प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित भूमि का बेचा[illegible] आदि न तो स्वयं करें और ना ही ऐसा कृत्य अपने नौकर, चाकर एजेंट [illegible] कब्जा काश्त में बेद[illegible] नहीं करे। तहसीलदार महोदय को इस आशय से [illegible] भूमि से सम्बन्धित विकय [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 16:59:31 IST
Reason: SelfAttested

आदि तस्दीक न तो स्वयं करें और ना ही अपने अधीनस्थ कर्मचारीगण से करवायें। प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी वास्ते जबाबदेही की गई।

अप्रार्थी संख्या 1, 2, 3 व 3बावजूद तामिल हाजीर नही अतः इनके विरूद्व एकपक्षिय कार्यवाही अमल मे लायी गई ।

बहस प्रार्थना–पत्र श्रवण की गई। बहस के दौरान प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने प्रार्थना में अंकित तथ्यो को दौहराया तथा कथन किया कि प्रार्थना पत्र की में वर्णित भूमि को अनावेदकगण गलत राजस्व रिकॉर्ड की आड में भूमि को बेचान करने व भूमि को खुर्द बुर्द करने पर आमादा है । मौके पर वादीगण व प्रतिवादीगण मौके पर अपने अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधज्ञा स्वीकार किया जाना प्रार्थनीय है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र का दावा इस न्यायालय में विचाराधीन है। चूंकि हक हकुक के संबंध में निर्णय तो दावे के विधिवत सुनवाई के पश्चात ही तय होना है। विवादग्रस्त भूमि को लेकर उभयपक्षकारान के मध्य अनावश्यक मुकदमाबाजी व विवाद नहीं बढे इसके लिए अनावेदकगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से दावे का निर्णय होने तक पाबन्द किया जाना उचीत व न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का स्वीकार किया जाता है तथा अनावेदकगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से दावे का निर्णय होने तक पाबन्द किया जाता है कि ग्राम उदयपुरवाटी तहसील उदयपुरवाटी की सरहद में भूमि खसरा न0 1771, 1807, 1808, 1809 कुल किता 4 कुल रकबा 0.55 है0 में अनावेदकगण मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

13/2/23

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

निर्णय आज दिनांक को 13.02.2023 को मेरे द्वारा अलग से टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

13/2/23

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 16:59:31 IST
Reason: SelfAttested